

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/हिन्दी (छात्र)/2015-2016/1428 दिनांक 15.10.18 एवं एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/हिन्दी (छात्र)/2015-2016/1485 दिनांक 25.10.18 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) -इतिहास पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक इतिहास (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - इतिहास के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (12)डीओपी/ए-ग्रा /2005 दिनांक: 20.01.2006 एवं एफ.12 (06) एफडी (नियम)/ 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी/रूल्स /2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/03 दिनांक: 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।


**संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-**

- 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- 2 अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- 3 भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
- 4 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.18 एवं माननीय सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 05.03.18 द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थिति के अनुसार सम्बन्धित वर्ग का शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 5 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 6 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

- 7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 8 जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rajrmsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।


उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अधधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक: 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय इतिहास (छात्र) के पूर्व घोषित परणाम दिनांक: 05.06.17 के अतिक्रमण में दिनांक: 14.06.18 को जारी किये गये नवीनतम परणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 06.11.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। यह नियुक्ति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक -प.7(1)शिक्षा-2/प्राध्या/व.अ./प्रयो.सहा/2018 जयपुर दिनांक 24.10.18 के द्वारा नियुक्ति हेतु विधान सभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन हेतु निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक एफ.3(1)(9)1/elect/2018/6965 दिनांक 08.10.18 द्वारा गठित स्क्रिनिंग समिति की सहमति एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी. संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.18 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप संलग्न सूची में अंकित कार्मिक यदि चुनाव सम्बन्धित कार्य में दायित्वबद्ध है, तो सम्बन्धित निर्वाचन विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

  
(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-इतिहास/पीएससी-15/2018  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी
05. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
06. संबंधित शाला/संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य राउमावि/राबाउमावि/संबंधित आशार्थी
07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा/ निजी/रक्षित पत्रावली


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/नियुक्ति-इतिहास/पीएससी-15/2017-18/

दिनांक- 27.10.2018

No	RNO	NAME	FNAME	CTG	BIRTHDATE	CTG_TYPE	XX	MERIT_NO	HOME_DIST	स्थायी पता	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	520783	DEEPAK MATHUR	LALIT MOHAN MATHUR	GE,LD,RG	25-10-1983	GENM	LD	1435	SIKAR	पुराने पावर हाउस के पास, देवीपुरा रोड़, माथुर कॉलोनी- सीकर	SHAHID CHANDAN SINGH GOVT. AADARSH SR.SEC.SCH. CHUDOLI KHAKHOLI, DHOD (08130307601 )(DHOD (SC))	SIKAR
2	524832	MOHANLATA	NARAYAN LAL	BC,WE,WD,RG	01-04-1982	OBCF	WD	1929	SIKAR	प्लॉट न 8, वीर तेजा कॉलोनी, पुराना हनुमान मंदिर के पास, आजाद नगर, नवलगढ़ रोड़- सीकर	GOVT. ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL SULIYAWAS, DANTARAMGARH (08130401906 )(DANTARAMGARH)	SIKAR
3	106889	MONA KATHAT	NENU SINGH	BC,WE,WD	05-08-1987	OBCF	WD	1930	AJMER	सरकारी आई. टी. के पास, गणेशपुरा - ब्यावर - अजमेर	G.HR. SEC. SCHOOL, KOTDA, JAWAJA (08210514004 )(BEAWAR)	AJMER
4	514687	KUSUM LATA MEENA	RAMSWAROOP MEENA	ST,WE,DV,RG,NG	31-12-1969	STF	WD	1945	S.MADHOPUR	सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास, जवाहर नगर, अमित कॉलोनी, ग्रापो- महुकलां- गंगापुरसिटी- स.माधोपुर	Govt. Adarsh Senior Secondary School MEHAMDPUR (SAPOTRA), SAPOTRA (08090502101 )(SAPOTRA (ST))	KARALI
5	105672	SHUSHILA KUMARI MEENA	RAM DAYAL MEENA	ST,WE,WD,RG	01-06-1986	STF	WD	1966	AJMER	आलोली, केकडी- अजमेर	GOVT.ADARSH SR.SEC.SCHOOL,DEVGAON, KEKRI (08210802503 )(KEKRI)	AJMER
6	629637	SANTOSH KUMARI	GULLA RAM	SC,WE,WD	06-05-1983	SCF	WD	1967	JAIPUR	114, 115 अम्बेडकर कॉलोनी, अशोक पुरा, सोडाला-जयपुर	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL SHARDULPURA, DUDU (08121018401 )(PHULERA)	JAIPUR
7	281655	USHA VERMA	PARBHU DAYAL	SC,WE,WD	10-06-1982	SCF	WD	1968	SIKAR	वार्ड न-32, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर	G AADARSH SSS, SATRA, CHURU (08040407007 )(CHURU)	CHURU
8	623067	PAVITRA SHARMA	UMA SHANKAR SHARMA	GE,WE,RG,NG	17-10-1985	GENF		1187	JAIPUR	78, सुन्दर नगर चांद बिहारी नगर, खातीपुरा - जयपुर	GOVT. ADARSH SEN.SEC. SCHOOL, CHURI, KOTPUTLI (08120109201 )(KOTPUTLI)	JAIPUR
9	615297	SUMAN KUMARI	PRABHU NARAYAN CHOUHARY	BC,WE	04-01-1990	OBCF		1396	JAIPUR	68/23 हीरापथ, मानसरोवर - जयपुर	GOVT SR SEC.SCH. NANAN, DUDU (08121000703 )(DUDU (SC))	JAIPUR
10	461151	GAYATRI ARYA	GIRISH KISHOR ARYA	SC,WE	28-07-1980	SCF		1742	KOTA	प्लॉट न-520, गोविन्द धाम के सामने, सुभाष कॉलोनी - किशोरपुरा -कोटा	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL ARNIYA KALAN, KHAIRABAD (08300410801 )(RAMGANJ MANDI (SC))	KOTA
11	667652	MAYA MEENA	RAMKISHAN MEENA	ST,WE	20-12-1990	STF		1764	JAIPUR	पी-13, पूरणबाडी- मॉडल टाउन, मालवीय नगर-जयपुर	G. HR.SEC.SCHOOL BADLYA, SRI NAGAR (08210307201 )(PUSHKAR)	JAIPUR
12	20155	PAWAN KUMAR SINGH	NAGENDRA BAHADUR SINGH	GENM	02-08-1980	GENM		702	U P	दरबपुर पोस्ट नरहरपुर जिला अम्बेडकरनगर- उत्तरप्रदेश	G.ADARSH SR.SEC.SCH DEVRI, SHAHBAD (08310701415 )(KISHANGANJ (ST))	BARAN
13	703577	KESHAV SINGH	KAMAL SINGH	BC	30-05-1979	OBCM		1134	BHARATPUR	हरनगर, पोस्ट बिडमारी तह- बयाना - भरतपुर	G.SR.SEC.SCH. RANIBAROD, KISHANGANJ (08310609201 )(KISHANGANJ (ST))	BARAN
14	256691	RAJENDAR KUMAR	JAGDISH BISHNOI	BC,RG,NG	01-06-1985	OBCM		1140	BIKANER	त्रिमूर्ती फार्मसी के पास, रिको रोड नम्बर 6, औद्योगिक क्षेत्र, रानीबाजार- बीकानेर	GOVT.JAWAHAR MAL BAJAJ GIRLS.SR.SEC. SCHOOL HIMMATSAR,NOKHA, NOKHA (08030412005 )(NOKHA)	BIAKNER
15	406964	SANDEEP KUMAR	HOSHIYAR SINGH	BC	01-05-1990	OBCM		1149	JHUNJHUNU	श्यामपुरा पोस्ट किशोरपुरा -चिडावा - झुझुनू	G.A.SR. SEC.SCHOOL, SATTASAR, KHAJUWALA (08030607401 )(KHAJUWALA (SC))	BIAKNER

  
(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर